बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १९ दिसम्बर, १९७३

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : नियम ४ (२) के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तर का सभा की मेज पर रखा जाना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—२८, २९, ७६ एवं ७७ .... १—१३

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—२४६, २५४, ७११ से ७१७ तक ७१९,....१३—४९
७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५५,
७६०, ७६२, ७६६, ७६७,७७०, ७७३,
७७४, ७७९, ७८१, ७८२, ८०६,
८०७, ८०९, ८११, ८१३, ८१४,
८१८, ८२८, ८२९, एवं ८३०।

परिशिष्ट—१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :— .... ५०—१२१

परिशिष्ट—२ .... १२२—३१६

दैनिक निबंध : .... ३१७—३१८

टिप्पणी : किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

The properties situated in thana Dalsingsarai, thana Teghra and also at Begusarai locality, tauzi no. 790, 660, 778, 780, 779.

Tehey on and 2657, tabdij 8, 9 mentioned in the Present deed do not form part of the former trust deed which is hereby cancelled.

अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

रा-२३६। **श्री ए० के० राय**—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि धनबाद के बगल में धाईया अंचल में ह्वाईट हाउस नाम से एक मकान है जिसका मालिक भूतपूर्व एम० एल० सी० श्री वी० पी० सिन्हा है;

(२) क्या यह बात सही है कि वह मकान सरकारी खास जमीन पर है जिसकी बन्दोबस्ती अभी भी नहीं हुई है;

(३) क्या यह बात सही है कि इस मकान के अलावा भी धनबाद शहर में डोमपाड़ा में श्री वी० पी० सिन्हा के रहने के लिये एक और मकान है तथा ह्वाईट हाउस भी है;

(४) क्या यह बात सही है कि सरकार के बिना बन्दोबस्ती किये सरकारी खास जमीन पर दखल करके मकान उठाना गैर-कानूनी है;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मकान बनाने के समय में रोक थाम नहीं करने वाले जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, उस गैर कानूनी मकान से श्री सिन्हा को हटा कर सरकार उसे अपने कब्जे में लेने का विचार करती है; यदि हां, तो कबतक और यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) धनबाद शहर के डोमपाड़ा में श्री वी०पी० सिन्हा के नाम से कोई मकान नहीं है। मौजा धनबाद थाना नम्बर ५१ खाता नम्बर २२, प्लौट नम्बर, २२५८ एवं २२५९ की करीब २०, डिसमल जमीन पर एक मकान बना हुआ है,

जिसमें श्री वी० पी० सिन्हा के रहने की सूचना मिलती है उक्त जमीन खतियान तथा पंजी २ में श्री कुजुमोची के नाम से है। धनबाद नगरपालिका वार्ड नम्बर २७ के होल्डिंग नम्बर १८२ प्रश्नागत जमीन की है जिसका नगरपालिका कर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नाम से वसूल होता है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वास्तव में अन्नपूर्णा बोस हैं।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(४) श्री वी० पी० सिन्हा के साथ प्रश्नागत जमीन की वन्दोवस्ती का प्रस्ताव आयुक्त, छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के माध्यम से अगस्त, १६७१ में प्राप्त हुआ है जिसकी जांचकर उपायुक्त, धनबाद को मई १६७३, में लिखा गया है कि प्रश्नागत जमीन को अतिक्रमण होने देने से सम्बन्धित दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सरकार को भेजें। इसके अलावा सभी पहलुओं की जाँच करने करने के बाद ही सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जायगा।

त्रिपक्षीय समझौता के सम्बन्ध में।

क-४८। **श्री ए० के० राय**—क्या मन्त्री, श्रम एवं नियोजन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि १६ अप्रील १६७२ को उप-श्रमायुक्त, श्री लग्नदेव सिंह के द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। जिसके द्वारा हि० मे० एण्ड को० लिमिटेड, भूली, धनबाद को तालाबन्दी का अन्त किया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उस त्रिपक्षीय समझौता के खंड ६ में ये माना गया था कि कारखाना के प्रबंधक ने १ दिसम्बर १६७० से ही इंजिनियरिंग वेज बोर्ड की सिफारिश लागू की है;

(३) क्या यह बात सही है कि इसके कुछ ही दिनों बाद दिनांक ८ जुलाई १६७२ को संयुक्त श्रमायुक्त श्री के० के० बोस की देखरेख में एक दूसरा त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके खंड ५ में यह कहा गया है कि हि० मे० एण्ड को० १ अगस्त १६७२ से इंजिनियरिंग वेज बोर्ड लागू करेंगे, अर्थात् इसके पहले यह लागू नहीं था;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो महीने के अन्दर इन दोनों समझौता के ब्यान में इस बुनियादी अन्तर का क्या कारण है; क्या सरकार इन बिन्दुओं की जांच करना चाहती है; यदि हां, तो कब तक; नहीं तो क्यों ?